

अध्याय 4: अननुपालना तथा नीति के मिथ्या प्रस्तुतीकरण करण के मामले

4.1 डीटीए बिक्री

डीसी मुम्बई, कोचीन, नोएडा, काण्डला, फाल्टा तथा कोचीन के अन्तर्गत 48 मामलों में ईओयूज द्वारा अनियमित/गलत डीटीए बिक्रियां देखी गई थी जिनमें ₹ 62.52 करोड़ के शुल्क का कम/गैर उदग्रहण शामिल है जैसा नीचे उदाहरण दिया गया है।

4.1.1 डीटीए में अनुमत सीमाओं से अधिक उत्पादों की निकासी

एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार, कीमती पत्थर तथा आभूषण इकाईयों से अलग इकाईयां,सकारात्मक एनएफई को पूरा करने की शर्त पर रियायती शुल्कों के भुगतान पर निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकती हैं। डीटीए बिक्री की हकदारी के अन्दर, इकाई उस माल के समान अपने उत्पाद डीटीए में बेच सकती हैं जो इकाईयों से निर्यात किये गए हैं अथवा निर्यात होने वाले हैं। जो इकाईयां एक से अधिक उत्पादों का विनिर्माण तथा निर्यात कर रही हैं,वे इस शर्त के अधीन कि कुल डीटीए बिक्री समग्र हकदारी से अधिक नहीं है, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक, इनमें से किसी उत्पाद को डीटीए में बेच सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसईईपीजेड तथा सीएसईजेड के अन्तर्गत नौ ईओयूज के मामले में, इकाईयों ने शुल्क की रियायती दर पर एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक अकेले उत्पाद डीटीए में निकासी कराए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.03 करोड़ की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ। इसी प्रकार, एसपीईईजेड के अन्तर्गत दूसरी इकाई ने निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक की डीटीए निकासी की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.90 लाख की राशि के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ। कुछ मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी2015) में बताया कि मामले जांच तथा वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकारिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अग्रेषित किये गए हैं।

बाक्स 2 डीटीए को अधिक निकासी का निदर्शी मामला

एक 100 प्रतिशत ईओयू, मै. एक्सीओम कोरडेजेज लि, बोईसर, महाराष्ट्र को एचडीपीई/पीपी रस्सियाँ तथा एचडीपीई/एलडीपीई/पीपी धागे (गुथे) के विनिर्माण के लिए जनवरी 2002 में एलओपी जारी किया गया था। जहां रस्सियां अधिकतर निर्यात की गई थीं, वहीं धागे की डीटीए में निकासी शुल्क की रियायती दर के भुगतान पर की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि धागे के संबंध में पिछले चार वर्षों के दौरान निर्यात का एफओबी मूल्य केवल ₹ 50.01 लाख था, जबकि डीटीए में ₹ 394.72 करोड़ के धागे की निकासी की गई थी। इकाई द्वारा निर्यात किया गया दूसरा उत्पाद एचडीपीई/एलडीपीई/पीपी रस्सियां थीं जिन्हें गुथे हुए धागे के समान नहीं कहा जा सकता क्योंकि गुथे हुए धागे की तुलना में उनके अलग वर्गीकरण शीर्षक हैं तथा अलग वाणिज्यिक उपयोग हैं। अतः डीटीए में निकासी किया गया उत्पाद निर्यात किये गए माल के समान नहीं था, इकाई एचडीपीई/एलडीपीई/पीपी धागे (मुड़े हुए) की निकासी के लिए शुल्क की रियायती दर का भुगतान करने की हकदार नहीं थी। 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान धागे की डीटीए निकासी पर अन्तरीय भुगतान योग्य शुल्क ₹ 11.20 करोड़ बनता था।

विभाग ने सूचित किया कि 6 मई 2014 को ₹ 13.40 करोड़ के लिए मांग ज्ञापन जारी कर दिया था।

अन्य मामले में मै. वीवीएफ लिमिटेड (100 प्रतिशत ईओयू) तलोजा को जनवरी 2003 में लोरेल शराब, मिसरिस्टिल शराब, फैंटी एसिड, टायलेट साबुन, मोनोकारबोक्सिलिक एसिड इत्यादि के निर्माण और निर्यात के लिए एलओपी जारी की गई थी। उसके उत्पादों में से एक अर्थात् सोप नूडल्स (सोडियम साल्ट मोनोकारबोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है) को डीटीए में बिक्री की गई। 2008-09 से 2010-11 के वर्षों के दौरान यूनिट ने डीटीए में ₹ 60.77 करोड़ की राशि तक के अन्तिम उत्पादों की बिक्री की। हालांकि, एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार डीटीए निकासी हकदारी से अधिक थी।

इस प्रकार, वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 42.20 करोड़ की राशि के माल की अधिक निकासी हुई थी। विभाग ने आपत्तियों की स्वीकारते हुए बताया (अप्रैल 2014) कि एक एसएसीएन जारी किया जा रहा है।

इसी प्रकार मै. सिपला लि. (यूनिट II) डीसी, सीपज़ के अन्तर्गत एक ईओयू ने विशिष्ट नामों के साथ 'एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडियेंट्स एंड फार्मूलेशन' का निर्माण किया और 2009-10 में डीटीए में थोक ड्रग (2 ऐमिनो 5 मिथाइल थाज़ोल-संसोधित, 7 क्लरों 6 फ्लर और कार्बोज़ाइलिक, माइकोफिनोलेट मोफेटिल, पेंटोप्राज़ोल सोडियम सोसकिहाइड्रेट एसएमके (एन) और जिडोवूडाइन की निकासी शुल्क रियायती दर पर की। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ने इस माल का निर्यात नहीं किया था। इसलिए, डीटीए में रियायती दर पर निर्मित माल का पूरी मात्रा की निकासी अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.87 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

डीसी, सीपज़ ने बताया (अप्रैल 2013) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि के लिए यूनिट द्वारा विरोध के तहत ₹ 36.65 लाख के अंतरीय शुल्क के भुगतान की सूचना दी थी।

अन्तिम परिणाम की सूचना लेखापरीक्षा को दी जा सकती है।

4.1.2 डीटीए में अन्तिम उत्पादों की मंजूरी पर अनियमित छूटों का लाभ होना

(क) दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना 23/2003-सीई की क्र. सं. 3 के अनुसार, उन ईओयूज के मामले में, जहां भारत में उत्पादित या निर्मित कच्चे माल से पूरे माल का उत्पादन या निर्माण होता है और माल को डीटीए में निकासी की जाती है, तो केवल लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय है अन्यथा लागू सीमा शुल्क देय है, अन्य शब्दों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का लाभ लेने के लिए यूनिट द्वारा स्वदेशी के साथ साथ आयातित इनपुटों के लिए पृथक खातों का रखरखाव किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 ईओयू यूनिटों में स्वदेशी और आयातित इनपुटों के लिए पृथक खातों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था और लागू सीमा शुल्क के बजाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर माल को डीटीए में निकासी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ की राशि का सीमा शुल्क कम लगाया गया। चार मामलों में विभाग ने ₹ 0.50 करोड़ की वसूली की सूचना दी थी।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 एक ईओयू द्वारा उत्पादित या निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर और डीटीए में मंजूरी पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान करता है। धारा 3 यह भी प्रावधान करता है कि उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य हेतु मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

डीसी, एसईईपीजेड सेज के तहत एक ईओयू मै. गाला प्रिसिजिस टेक्नोलाजी लि. अपने उत्पाद के एक भाग की निकासी अपनी डीटीए यूनिट (संबंधित कम्पनी) को एक भाग की निकासी लागत जमा दस प्रतिशत के आधार पर निर्धारित मूल्य पर रियायती शुल्क के भुगतान पर कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीए यूनिट वही उत्पाद 27 से 42 प्रतिशत तक की डीटीए यूनिट के ईओयू से निकासी के लिए लागू यूनिट कीमत की तुलना में उच्च दर पर बेच रहा था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि डीटीए में ईओयू से मंजूर उत्पादों पर कुछ मूल्य संवर्धन किया जाता है, जिसके मामले में डीटीए को मंजूर ईओयू माल, ईओयू यूनिट द्वारा निर्यातित माल के समान नहीं थे। इस लिए यूनिट ऐसे माल को शुल्क की रियायती दर पर मंजूर करने की हकदार नहीं थी।

इस पर विचार करते हुए कि डीटीए यूनिट ईओयू द्वारा निर्यातित एक समान माल की निकासी कर रही है। तो डीटीए बिक्री के समय रियायती शुल्क की गणना के उद्देश्य हेतु डीटीए यूनिटों को ईओयू द्वारा बेचे गए ऐसे माल का मूल्यांकन डीटीए यूनिट द्वारा लागू यूनिट कीमत के समान होना चाहिए। इस प्रकार, डीटीए बिक्री के समय माल के कम मूल्यांकन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस पर ध्यान दिलाने पर विभाग ने मई 2014 में यूनिट को ₹ 15.40 लाख का कारण बताओं कम मांग नोटिस जारी किया।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2015) कि ममला क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को जांच और वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया गया है।

4.1.3 एफटीपी के प्रावधानों के उल्लंघन में डीटीए में मार्बल की निकासी /बिक्री

डीटीए में ईओयू द्वारा आयातित मार्बल की बिक्री एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.8 (ए) और (एच) के तहत निषिद्ध हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विकास आयुक्त एनएसईजड नोएडा के क्षेत्राधिकार के तहत मै. जैन ग्रानी मर्मों प्रा. लि. ने एफटीपी/एलओपी के प्रावधानों के उल्लंघन में मार्बल स्लैब की निकासी की, अप्रैल 2011 मई 2012 के दौरान डीटीए में ₹ 36.70 करोड़ के मार्बल ड्रेसड किए।

विभाग एफटीपी/एलओपी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ईओयू के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा।

डोओसी ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी और फरवरी 2015) कि प्रासंगिक अवधि के लिए प्रस्तुत एपीआर के अनुसार, पैराग्राफ 6.8 (ए) और (एच) के तहत कोई डीटीएच निकासी नहीं दर्शायी गई है। इस यूनिट द्वारा दी गई एकमात्र डीटीए निकासी एफटीपी के पैराग्राफ 6.9(बी) के तहत थी। इस प्रकार, यह निकासी यूनिट के साथ साथ क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सत्यापित की जा रही है इस निकासी से संबंधित सूचना के स्रोत के रूप में यह निकासी लेखापरीक्षा आपत्तियों से स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त यूनिट को पैराग्राफ 6.9 के तहत मानवीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा 11.12.2009 तक रिट याचिका की समाप्ति तक (नवम्बर 2013) विदेशी विप्रेषण के प्रति डीटीए बिक्री की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि, यदि

अन्ततः याचिकाकर्ता किसी अन्य प्रभाव का दायी माना जाता है, तो वह उन परिणामों को भुगतने के लिए एक वचनबद्धता देगा।

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के उपरोक्त उद्धरित निर्णय की एक प्रति, मामले की मौजूदा स्थिति और विदेशी विनिमय विप्रेषण का विवरण जिनके प्रति डीटीए बिक्री की गई थी को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

4.1.4 डीटीए में स्क्रेप की बिक्री पर शुल्क का कम भुगतान

एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 6.8(ई) के अनुसार, एक ईओयू उत्पादन प्रक्रिया या उसके संबंध में उत्पन्न स्क्रेप/अपशिष्ट/शेष की निकासी के लिए डीटीए में बिक्री रियायती शुल्कों के भुगतान पर, जैसा लागू हो, निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की पूर्ण उच्चतम सीमा में कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसईईपीजेड मुम्बई, के तहत तीन यूनिटों⁶ ने दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 23/2003 की क्रम सं. 2 की शर्तों में शुल्क की रियायती दर पर स्क्रेप की डीटीए में निकासी की। माल की निकासी करते समय यूनिटों ने अधिसूचना सं. 83/2004 और 21/2002 की क्रम सं. 200 जो मेल्टिंग स्क्रेप पर लागू है के तहत बीसीडी की पूर्ण छूट का दावा किया। तथापि, इन यूनिटों में उत्पादित स्क्रेप (टर्निंग) मेल्टिंग के लिए निकासी नहीं की गई थी, इस प्रकार यूनिटों बीसीडी की पूर्ण छूट की हकदार नहीं थी। गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 13.19 लाख की शुल्क राशि का कम उदग्रहण हुआ।

विभाग ने दो मामलों में ₹ 10.89 लाख की वसूली की सूचना दी (जुलाई 2014)।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि चूंकि ईओयू में शुल्क क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा लगाया गया है, लेखापरीक्षा की आपत्ति उन्हें संदर्भित की गई है और टिप्पणी की प्राप्ति के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

अन्तिम परिणाम की सूचना लेखापरीक्षा को दे दी जाएगी।

4.1.5 डीटीए में की गई निकासी पर एसएडी का भुगतान न करना

दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना सं. 23/2003-सीई की क्रम सं. 1 के अनुसार एक ईएयू द्वारा डीटीए मंजूरी के मामले में विशेष अतिरिक्त सीमा

⁶ डीसी एसईईपीजेड, सेज मुम्बई के तहत मै. मैगनम फोर्ज एवं मशीन वर्क्स प्रा. लि., मै. वर्ल्डवाइड आयलफील्डस मशीन प्रा. लि. और मै. सुताती एंटरप्राइसेस लि.

शुल्क (एसएडी) उद्ग्राह्य है बशर्ते डीटीए में मंजूर माल राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर के भुगतान से छूट प्राप्त न हो।

डीसी मुम्बई, कांडला फाल्टा और चेन्नई, के तहत 16 ईओयू के संबंध में संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीटीए को कि गई निकासी पर न तो एसएडी और न बिक्री कर/वैट लगाया गया था। भुगतान योग्य एसएडी ₹ 22.69 करोड़ निकाला गया था। सात मामलों में डीसी एसईईपीजेड और फाल्टा द्वारा ₹ 83.83 लाख की वसूली की सूचना दी गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए मामलों में उपचारी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.1.6 डीटीए निकासी पर आनुपातिक एंटी डम्पिंग शुल्क (एडीडी) का भुगतान न करना

एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के अनुसार एक ईओयू सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के तहत, डीटीए को निकासी माल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर आनुपातिक उद्ग्राह्य एडीडी का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएसईजेड कोचीन और एसईईपीजेड मुम्बई⁷ के तहत दो ईओयू यूनिटों में डीटीए में माल की निकासी ₹ 10.45 लाख के एडीडी के भुगतान के बिना की गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि एसईईपीजेड सेज के अन्तर्गत यूनिट ने एडीडी का भुगतान कर दिया है और सीएसईजेड के अन्तर्गत यूनिट के संबंध में बताया कि माल को उनकी उपस्थिति में और क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत नष्ट किया गया था और डीटीए में नहीं बेचा गया था इसलिए शुल्क लागू नहीं है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4.1.7 नकारात्मक एनएफई के बावजूद 100 प्रतिशत ईओयू यूनिटों द्वारा डीटीए की अनियमित बिक्री

एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 6.8 (एच) के अनुसार 100 प्रतिशत ईओयूज अन्तिम उत्पाद बेच सकते हैं जोकि डीटीए में पूर्ण शुल्कों के भुगतान के प्रति,

⁷ डीसी एसईईपीजेड सेज, मुम्बई के तहत में. एमडीबी केमिकल्स (आई) प्रा. लि. डीसी सीएसईजेड कोचीन के तहत में. डीसी मिल्स प्रा. लि.

डीसी को सूचना के अन्तर्गत एफटीपी के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य हैं बशर्ते उन्होंने सकारात्मक एनएफई प्राप्त कर ली हो।

डीसी वीसेज, हैदाराबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मै. एमआईसी इलैक्ट्रानिक्स लि. कुशाङ्गुडं ने 2008-09, 2009-10 और 2012-13 के दौरान संबंधित वर्षों में नकररात्मक एनएफई के बावजूद शुल्क की रियायती दर पर ₹ 5.65 करोड़ की डीटीए बिक्री की। चूंकि, यूनिट शुल्क की रियायती दर पर डीटीए में माल की बिक्री की सकारात्मक एनएफई प्राप्त नहीं कर सकी, यूनिट को पूरे शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था तदनुसार, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए यूनिट से ₹ 39.79 लाख की आनुपातिक शुल्क की वसूली की जा सकती है।

डीओसी ने आपत्ति को स्वीकारते हुए बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि एफटीपी के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 11.9.2013 को एक एससीएन जारी किया गया था। शुल्कों की वसूली के लिए जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है, डीसी वीसेज द्वारा क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले से ही सूचना दे दी गई है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सिफारिश सं. 4: विभाग विकास आयुक्तों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त मानिट्रिंग के निर्धारित तंत्र के सुधार करने के साथ-साथ एफटीडीआर/सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर अधिनियम के अनुसार किसी गंभीर अननुपालन के लिए जवाबदेही के निर्धारण के माध्यम से ईओयूज द्वारा डीटीए मंजूरी के मामले में आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ कर सकता है।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि एफटीपी का परिशिष्ट 14-आई-जी छः माह के आधार पर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयूज की संयुक्त निगरानी का प्रावधान करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क का क्षेत्राधिकारी आयुक्त या उसका नामिती समिति का सदस्य होता है। संयुक्त निगरानी पुनरीक्षा अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी के साथ बैठक भी की जाती है जिसमें अननुपालन या ईओयू द्वारा किसी उल्लंघन की चर्चा की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

तथापि, डीओसी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

4.1.8 शुल्क के भुगतान के बिना माल की निकासी पर सेनवेट क्रेडिट वापिस न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुसार सेनवेट क्रेडिट इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं की मात्रा पर अनुमत नहीं होगा जो छूट प्राप्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की जाती हैं। नियम 6 के उप-नियम 3 (बी) के अनुसार, छूट प्राप्त वस्तुओं के साथ-साथ शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माता, प्राप्ति विनिर्माताओं के प्रयोग हेतु इनपुट और इनपुट सेवाओं, खपत के लिए अलग से खाता न बनाने वाले निर्माताओं को ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रभारित कुल मूल्य के छः प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना होगा। इस उप-नियम के प्रावधान नियम 6 के उप-नियम 3(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के अलावा शुल्क भुगतान के बिना मंजूरी के सभी मामलों में लागू होते हैं। सीटी-2 प्रमाण पत्रों के प्रति दि. 26 जून 2001 की अधिसूचना के अंतर्गत दी गई निकासी इन छूटों के अंतर्गत नहीं आती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी एसईईपीजेड सेज मुंबई के अधीन मै. सन फार्मा लि. और मै. फेयरफील्ड एटलस प्रा. लि. ने दिनांक 26 जून 2001 की अधिसूचना के तहत अप्रैल 2011 से मार्च 2014 और अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के दौरान क्रमशः ₹ 14.65 करोड़ तथा ₹ 17.87 करोड़ की राशि की वस्तुओं की निकासी की। चूंकि दिनांक 21 जून 2001 की अधिसूचना के तहत निकासी को शुल्क भुगतान के बिना डीटीए में निकासी के रूप में माना गया इसलिए निकासी वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट्स पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट लागू नहीं था क्योंकि इकाईयों में प्राप्ति खपत और निर्माण में प्रयोग हेतु इनपुट और इनपुट सेवाओं का अलग से लेखा नहीं बनाया था, तदनुसार इकाईयों को डीटीए में निकासी वस्तुओं के मूल्य पर छः प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना था।

छः प्रतिशत की दर से शुल्क की गैर वसूली के कारण ₹ 1.95 करोड़ की राशि के शुल्क की कम वसूली हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि मामलों को जांच करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट देने हेतु इन्हें क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को भेजा गया है।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

4.2 ईओयू योजना से निर्गम होते समय शुल्क की कम वसूली

एफटीपी के पैराग्राफ 6.18 में ईओयू योजना से निर्गम होने की प्रक्रिया और शर्त का प्रावधान है। प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क का भुगतान करके डीसी के अनुमोदन से एक ईओयू निर्गम हो सकती है एवं ईओयू को ईओयू योजना के तहत सकारात्मक एनएफई पूरा करने पर डीटीए हेतु ईपीसीजी योजना का लाभ लेने के तहत पूँजीगत वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान पर किसी भी समय योजना से निर्गम होने की अनुमति दी जा सकती है।

डीसी, एसईईपीजेड, एनसेज फाल्टा और सीसेज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ईओयू इकाईयों को तैयार माल, तैयार माल के भण्डार, बिना तैयार माल और पूँजीगत वस्तुओं इत्यादि पर मूल्यहास अनुमति तथा गलत शुल्क दर अनुमत करते हुए योजना से निर्गम होने की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.93 करोड़ की राशि का शुल्क कम लगाया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि जांच और वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी को प्रेषित किए गए हैं।

अन्तिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते हैं।

4.3 सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

(क) दिनांक 29 अप्रैल 2011 का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परिपत्र कमिशन आधार पर शुल्क योग्य माल की बिक्री की सेवा पर स्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट का प्रावधान करता है। तथापि गुजरात⁸ के माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए क्रेडिट अस्वीकृत किया कि उक्त सेवा इनपुट सेवा नहीं थी और इस निर्णय⁹ को आगे गुजरात उच्च न्यायालय ने समर्थन दिया जिसमें यह भी कहा गया था कि क्षेत्राधिकारी उच्च न्यायालय का आदेश विभाग पर बाध्य है। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिनांक 29 अप्रैल 2011 का परिपत्र अभी भी लागू था, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार परिपत्र का संशोधन नहीं किया है।

⁸ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद ॥ बनाम केडिला हेल्थकेयर लि. 2013(30) एसटीआर 3(गुज) (2013-टीआईओएल-12-एचसी-एचएम-एसटी) के मामले में।

⁹ अस्तीक डाइस्टफ प्रा. लि. बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त (कर अपील सं. 2013 का 1078) के मामले में।

डीसी, केसेज के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि छः ईओयूज ने बिक्री कमिशनों पर भुगतान पर ₹ 1.88 करोड़ की राशि का सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 6: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ (बिक्री कमीशन)

यूनिट का नाम	क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी	लिया गया सेनवेट क्रेडिट (₹ लाख में)
मै.कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड	रेंज I पद्म डिविजन II वडोदरा I	15.97
मै.केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड	रेंज II डिविजन वगोडिया वडोदरा II	68.83
मै.सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रेंज II डिविजन अंकलेशवर III सूरत II	33.62
मै. जीईए फार्मा लिमिटेड	एआर I डिव. सिटी डिविजन वडोदरा II	3.89
मै. केएलजे आधुनिक लिमिटेड	रेंज IV, डिविजन II, सूरत II	2.09
मै.सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	रेंज III डिविजन वगोडिया वडोदरा II	63.45

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने सूचना दी कि 17 सितम्बर 2014 को मै. कैडिला हेल्थकेयर को एससीएन जारी कर दिया गया था।

बाकी मामलों में की गई उपचारात्मक कार्रवाई की सूचना दी जा सकती है।

(ख) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 2(1) के अनुसार, इनपुट सेवा से वित्त अधिनियम की धारा 66 ई के खण्ड (ख) के तहत सूचीबद्ध सेवा सहित निर्माण कार्य अनुबंध और निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सेवा भाग अलग हैं, जहां तक कि वह एक भवन या सिविल संरचना या उसके एक भाग और मोटर वाहन को किराए पर देने द्वारा प्रदत्त सेवा के कार्य अनुबंध के निर्माण या निष्पादन के लिए प्रयोग होते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों में, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004, के नियम 2 (1) के उल्लंघन में ₹ 28.47 लाख के सेवा कर क्रेडिट का लाभ लिया गया था जैसा नीचे विवरण दिया गया है:-

तालिका 7: सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना (कार्य अनुबंध)

यूनिट का नाम	क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी	क्रेडिट किया गया अधिक शुल्क (₹ लाख में)
कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	एआर I डिविजन II वडोदरा I	14.90
असाही सोंगवोन कलर्स लिमिटेड	एआर II डिविजन II वडोदरा I	4.68
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एआर II डिविजन III सूरत II	8.89

डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी और फरवरी 2015) कि मै. असाही सोंगवोन, वडोदरा ने ₹ 4.68 लाख जून 2014 में वापस किया और मै. कैडिला हेल्थकेयर को एससीएन जारी किया जा रहा है। मै. सन फार्मास्युटिकल

इंडस्ट्रीज लि. ने क्रेडिट वापिस किया मै. सन फार्मास्यूटीकल्स के मामले में क्षेत्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से उत्तर अपेक्षित है।

(ग) इसी प्रकार, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4 के तहत इनपुट की इनपुट निर्माता की फैक्ट्री में प्राप्ति पर आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर में लिया जा सकता है। सिलवासा आयुक्तालय वापी डिविजन III एआर IV के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी प्राधिकारियों के तहत मै. इंटरनेशनल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लांट सं. 380/2 गांव दपोड़ा सिलवासा ने 389/1 गांव सयाली सिलवासा में प्राप्त श्रमबल आपूर्ति के संबंध में ₹ 19.58 लाख के सेवा कर क्रेडिट का लाभ लिया। क्रेडिट का लाभ लेने के लिए निर्माता की फैक्ट्री या आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर में सेवा प्राप्त करना अनिवार्य है। इस मामले में, इनपुट भिन्न स्थानों पर उपयोग किए गए थे। इस प्रकार अनुमत क्रेडिट अनियमित और यूनिट से वसूली योग्य था।

4.4 सेवा कर न लगाना

(क) दिनांक 9 जुलाई 2001 की अधिसूचना सं. 4/2001-एसटी द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस एक्सेस या क्षतिपूर्ति सेवाएं सेवा कर परिधि के अन्तर्गत लाई गई है।

इसके अतिरिक्त सेवा नियामावली 2012 के प्रावधान के स्थान के नियम 9 में परिकल्पित कि सेवा के प्रावधान के स्थान या आनलाइन सूचना के माध्यम से प्रदान सेवा और डाटाबेस एक्सेस या क्षतिपूर्ति सेवा प्रदाता का स्थान होगी।

डीसी, वीसेज के तहत मै. माईलान लेबोरेट्रीज लिमिटेड (यूनिट III) (100 प्रतिशत ईओयू) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इकाई ने जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान डोजियर¹⁰ बिक्री से ₹ 737.14 करोड़ के बराबर परिवर्तनीय विदेशी विनिमय प्राप्त की थी।

चूंकि यूनिट द्वारा "डोजियर" जो कि कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक में विदेशी ग्राहको (प्राप्तकर्ता) को दिया जा रहा है तथा तदनुसार इन्टरनेट या एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर आवंटित किया जा रहा है, अतः यह कार्य "ऑनलाइन इन्फोरमेशन एंड डाटाबेस एक्सेस या क्षतिपूर्ति सेवा" के तहत आता है।

¹⁰ 'डोजियर' एक दस्तावेज है जो सक्रिय फार्मास्यूटिकल तत्वों तथा फार्मास्यूटिकल संरचनाओं के निर्माण की जांच के तकनीकी आंकड़े देता है। डोजियर भौतिक के साथ-साथ अभौतिक के रूप में भी होते हैं जिन्हें सीडी के साथ दस्तावेजीकरण के रूप में संग्रहित किया जाता है तथा इसे विदेशी ग्राहकों को निर्यात किया गया था।

करयोग्य क्षेत्र (हैदराबाद, भारत) से सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा प्राप्तकर्ता विदेश में स्थित हैं और इस कारण से यूनिट द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रभार प्राप्त किया जाता है तथा इसलिए यह सेवाओं के निर्यात की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती। इस प्रकार उक्त नियम 9 के अनुसार सेवा कर सेवा प्रदाता यूनिट द्वारा देय होगा।

जुलाई 2012 से मार्च 2014 की समयावधि के लिए डोजियर की बिक्री पर सेवा कर ₹ 91.11 करोड़ निकला जो यूनिट से वसूली योग्य है।

इसी प्रकार, डीसी वीएसईजेड के तहत अन्य ईओयू, मै. ओरबिन्दो फार्मा लिमिटेड, हैदराबाद ने जुलाई 2012 से मार्च 2014 के दौरान विदेशी क्रेताओं को ₹ 4.53 करोड़ की सेवा कर देयता सहित ₹ 36.66 करोड़ की ऐसी ही सेवाएं प्रदान की।

यह बताए जाने पर (अगस्त 2014), विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि मामले की जांच की जाएगी तथा उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। तदपश्चात कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटों को भुगतान किया गया कमीशन, विदेशी ग्राहकों के लिए भारत में भावी ग्राहक खोजने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के कारण आय, प्राप्त किया गया किराया तथा संसाधन प्रभार सेवा कर को आकृष्ट करते हैं।

डीसी, कांडला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एक ईओयू ने विदेशी ग्राहकों के लिए भारत में भावी ग्राहक खोजने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के कारण आय प्राप्त की तथा सीएसईजेड, कोचीन में दो यूनिटों ने धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटों को कमीशन का भुगतान किया तथा अन्य यूनिट में किराया तथा संसाधन प्रभार प्राप्त किया गया तथापि, इन मामलों में कोई सेवा कर उद्धृष्ट नहीं किया गया जैसाकि नीचे वर्णित है।

तालिका 8: सेवा कर का उद्धृष्ट न होना

	डीसी	उद्धृष्ट न होने वाले सेवा कर की राशि (₹ करोड़ में)	
केएसईजेड गांधीधाम	मै. जीईए फार्मा लि. अहमदाबाद	0.18	विदेशी ग्राहकों के लिए भारत में भावी ग्राहक खोजने के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के कारण आय प्राप्त की गई।
सीएसईजेड कोच्ची	मै. एवीटी मेकक्रोमीक इन्व्हीटेंटस प्रा.लि., बाज़ाकुलम	1.31	वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटों को भुगतान किया गया कमीशन

सीएसईजेड कोचची	मै. सीन्थाइट इंडस्ट्रीज लि.	0.07	वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए के तहत विदेशी एजेंटों को भुगतान किया गया कमीशन
सीएसईजेड कोचची	मै. एल्लेप्पी कम्पनी लि. पुथेनन्गदी	0.16	प्राप्त संसाधित प्रभार तथा किराया
जोड़		1.72	

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि सेवा कर तथा डीओआर से संबंधित है ये मामले टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को बताए जा सकते है।

4.5 केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की अनियमित प्रतिपूर्ति

(क) एफटीपी (2004-09) के पैराग्राफ 6.11 (सी) के साथ पठित परिशिष्ट 14-1-आई के अनुसार, ईओयूज माल के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीद पर सीएसटी की पूर्ण प्रतिपूर्ति का हकदार है।

लेखापरीक्षा ने डीसी, एफएसईजेड के कार्यालय पर अभिलेखों से यह पाया कि मै. मित्तल टेक्नोपैक प्रा. लि., एक ईओयू को माल पर सीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति की गई जिसमें डीटीए यूनिट से नहीं अपितु एक सेज यूनिट मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. से प्राप्त पीपी ग्रैन्यूल/होमोपॉलिमर सम्मिलित थे। यह उक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.11 लाख की सीएसटी राशि की अधिक प्रतिपूर्ति हुई ।

(ख) ईओयू को की आपूर्ति पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए अनुसरित होने वाली प्रक्रिया से संबंधित एचबीपी (2009-14) के परिशिष्ट 14-1-आई के पैरा 3(iii) के अनुसार, सीएसटी की प्रतिपूर्ति केवल उन यूनिटों को स्वीकार्य होगी जो कि नियमावली 1957 के साथ पठित (पंजीकरण तथा कुल कारोबार) सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार बिक्री कर प्राधिकरणों में स्वयं को पंजीकृत करवाते है तथा बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करते है। हमने एफएसईजेड, कोलकाता के क्षेत्राधिकार के तहत मै. रोहित फेररो-टेक लि. के मामले में देखा कि 2012-13 के दौरान सीएसटी की प्रतिपूर्ति मंजूर की गई थी। यह पता चला कि सीएसटी पंजीकरण (दावे के साथ प्रस्तुत 1.4.2003 से प्रभावी) 35, चितरंजन एवेन्यू पर स्थित अपने कोलकाता कार्यालय/यूनिट के लिए था तथा इसके पूर्व मेदीनीपुर स्थित 100 प्रतिशत ईओयू यूनिट के लिए नहीं था। सीएसटी पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकताओं को यूनिट द्वारा पूरा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.98 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि एक मामले में वसूली की गई है तथा अन्य मामले में वसूली प्रक्रियाधीन है।

4.6 पुनः भंडारण प्रमाणपत्र प्राप्त न होना

भंडारण का माल (निष्कासन) विनियम 1963 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे माल पर उद्घाटन शुल्क के बराबर राशि का एक बांड बनाकर एक भंडारण से दूसरे भंडारण में माल हटाया जा सकता है। सीमा शुल्क नियमावली के अध्याय 25 के तहत पैराग्राफ 12.1 तथा भंडारण माल (निष्कासन) विनियम 1963 का विनियम 4 अनुबंधित करता है कि भंडारण का मालिक प्राप्ति प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्दर पुनः भंडारण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसके न होने पर वह ऐसे माल पर उद्घाटन आयात शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हमने 1 माह से 73 माह के बीच 3177 पुनः भंडारण प्रमाणपत्र की प्रस्तुति में विलम्ब देखा। सम्मिलित आयात का मूल्य ₹ 204.16 करोड़ के परित्यक्त शुल्क के साथ ₹ 762.34 करोड़ था।

डीओसीने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में कहा कि ये मामले सेवा कर से सम्बद्ध हैं तथा डीओआर को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हैं।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते हैं।

4.7 बांड का अपर्याप्त कार्यान्वयन होना/कार्यान्वयन न होना

(क) सीमा शुल्क अधिनियम 1962, (1) की धारा 59 के अनुसार, धारा 61 की उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट किसी माल का आयातक जिसे भंडारण के लिए प्रविष्ट किया गया है तथा धारा 17 या धारा 18 के तहत शुल्क के लिए निर्धारित किया गया है, को सीमा शुल्क के डीसी/एसी क्षेत्राधिकार से पूर्व एक एकल सभी उद्देश्य बांड क्रियान्वित करना होगा तथा सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफलता के मामले में शुल्क के देयता को कवर करते हुए ऐसे माल पर निर्धारित शुल्क की राशि की दोगुनी राशि में स्वयं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बाध्यकारी बनाएगा।

बांड फाइलों तथा डीसी, एनएसईजेड, वीएसईजेड, एसईईपीजेड तथा सीएसईजेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पांच ईओयू यूनिटों ने 30 प्रतिशत से 193 प्रतिशत के बीच आवश्यक राशि से बहुत कम फार्म बी-17 बांड में बांडों को क्रियान्वित किया। दो अन्य यूनिटों में बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया। अपर्याप्त बांड का क्रियान्वयन तथा बांड रजिस्टर का अनुरक्षण

न होने से इनमें ₹ 62.27 करोड़ की सीमा तक सरकारी राजस्व की सुरक्षा को जोखिम हुआ जैसाकि परिशिष्ट 4 में वर्णित है।

(ख) इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन में मै. एलाइड इन्स्ट्रूमेंट प्रा. लि. तथा कोड वर्क सोल्यूशन प्रा. लि. के संदर्भ में क्रमशः डीसी, एनएसईजेड तथा सीएसईजेड के तहत बांड रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में कहा कि ये मामले सेवा कर से सम्बद्ध हैं तथा डीओआर को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हैं।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते हैं।

4.8 क्षेत्राधिकारी प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ठेके के कार्य के लिए माल को हटाना।

परिपत्र संख्या 65/2002-सी.शु. दिनांक 07 अक्टूबर 2002 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.14(ए)(i) के अनुसार, ईओयू को सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उस क्षेत्राधिकारी एसी/डीसी से ठेके के कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है जिसके क्षेत्राधिकार के तहत यूनिट संचालित होती है। अनुमत्त स्वीकृति एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। चार यूनिटों¹¹ के मामले में, यह पाया गया कि सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त से जांब कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में कहा कि ये मामले सेवा कर से सम्बद्ध हैं तथा डीओआर को टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हैं।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जा सकते हैं।

4.9 तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण के लिए प्राप्त मामलों का डाटा उपलब्ध न होना तथा उसका अंतिम निर्णय लेना।

एफटीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.8(ई) के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न या उसके बाद के संदर्भ में स्क्रेप/वेस्ट/रेमनेन्टस (एसडब्ल्यूआर) को निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की सम्पूर्ण अंतिम सीमा के अन्दर व्यवहार्य रूप में रियायती शुल्को के भुगतान पर शुल्क छूट योजना के तहत अधिसूचित एसआईओएन के अनुसार डीटीए में बेचा जा सकता है। मानदण्डों

¹¹ वीएसईजेड, विशाखापट्टनम के तहत मै. कीर्थी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक डिविजन) (100 प्रतिशत ईओयू) बालनगर-1 रेंज तथा मै. डीवीबी डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एनएसईजेड, नोएडा के तहत मै. सेनवेट एक्जिम प्रा.लि. दिल्ली तथा मै. वेल्सप्रींग यूनिवर्सल, नई दिल्ली

द्वारा कवर न की गई मदों के संदर्भ में, डीसी छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है तथा इस समयावधि के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। तदर्थ मानदण्ड तब तक जारी रहेंगे जब तक मानदण्ड समिति द्वारा ऐसे समय मानदण्ड निर्धारित किए जाए। डीटीए बिक्री की पात्र ने होने वाली यूनिटों द्वारा एसडब्ल्यूआर की बिक्री या डीटीए बिक्री पात्रता से अधिक बिक्री पूर्ण शुल्को के भुगतान पर किया जाएगा। एसडब्ल्यूआर को भी निर्यात किया जा सकता है। तदर्थ मानदण्डों का मामला भी दिनांक 31 मार्च 2003 की अधिसूचना की खण्ड(ए) उप खण्ड (ii) की शर्त संख्या (4), दिनांक 6 जुलाई 2007 की सीई अधिसूचना द्वारा संशोधित दिनांक 31 मार्च 2003 की जी.एस.आर. 265(ई) के तहत निपटाया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि एसआईओएन में दिए गए के अलावा अतिरिक्त मदों की इनपुट के रूप में आवश्यकता होती है अथवा जहां उपयोगकर्ता उद्योग मौजूदा एसआईओएन को अपर्याप्त रूप में मानता है अथवा जहां डब्ल्यूएसआर का उत्पादन प्राप्त इनपुटों के 2 प्रतिशत से अधिक हो, वहां ऐसे माल के उपयोग को तब तक स्व-घोषित मानदण्डों के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी जब तक ऐसे मानदण्डों को स्व-घोषित मानदण्डों की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त द्वारा तदर्थ आधार पर निर्धारित किया जाए तथा यूनिट तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण के छः माह के अन्दर स्वीकृति बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप स्व-घोषित/तदर्थ मानदण्डों को समायोजित करने का उत्तरदायित्व लेती है।

डीसी, केएएसईजेड गांधीधाम के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कार्यालय के पास तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण हेतु प्राप्त मामलों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए मामलों की संख्या तथा अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या के संदर्भ में डाटा नहीं था। यह दर्शाता है कि तदर्थ मानदण्डों से संबंधित मामलों के संदर्भ मॉनीटरिंग तंत्र कमजोर था।

डीसी, केएएसईजेड के तहत एक ईओयू मै. बिस्साजा इंडिया प्रा. लि. यूनिट को ग्लास मोसेक के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। यूनिट द्वारा दायर एपीआर तथा चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र से यह पाया गया कि 2009-10 से 2013-14 की समयावधि के दौरान उत्पादित तैयार माल (अर्थात् ग्लास मोसेक) की तुलना में उत्पादित तथा बेचे गए एसडब्ल्यूआर की मात्रा बहुत अधिक थी (तैयार माल का लगभग 65 प्रतिशत) जैसाकि नीचे वर्णित है।

तालिका 9: तदर्थ मानदण्डो का निर्धारण न होना

वर्ष	उत्पादित एसडब्ल्यूआर की मात्रा (किग्रा.)	बेचे गए एसडब्ल्यूआर की मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (₹ लाख में)	यूनिट लागत (₹)	तैयार माल (ग्लास मोसेक) की मात्रा				
					किग्रा.	वर्ग मीटर	मीटर	पीस	मॉड्यूल
2009-10	723664	902867	6.64	0.73	1441094	74435.37	15	33	उ.न.
2010-11	1437879 किग्रा. +51.75 वर्गमीटर	1352830	3.21	0.23	2593829	116960	44	उ.न.	26
2011-12	1476158	1510084	4.43	0.29	2453601	110256	32	उ.न.	30
2012-13	2330426	2165980	5.89	0.27	2701798	97759	191	उ.न.	76
2013-14	2346068	2394674	3.38	0.14	3553548	93736.61	92.85	उ.न.	20
जोड़	8314195 किग्रा. +51.75 वर्गमीटर	8326435	23.58	उ.न.	12743870	493146.98	374.85	33	152

यद्यपि यूनिट को दिनांक 21 अगस्त 2006 को डीसी, केएएसईजेड के लिए एसआईओएन के निर्धारण हेतु काम में लाया गया जिसमें 50 प्रतिशत का अपशिष्ट दावा था। इसे 6 नवम्बर 2008 को तदर्थ आधार पर डीसी द्वारा स्वीकृत किया गया तथा लेखापरीक्षा (जून 2014) की तिथि तक अंतिम रूप दिए बिना यह तदर्थ स्वीकृति जारी रही। समय पर तदर्थ मानदण्डों को अंतिम रूप न देने से डीसी द्वारा मानदण्ड निर्धारण के निर्धारण मामलों की खराब निगरानी प्रदर्शित होती है। तदर्थ मानदण्डों में अनुचित विलम्ब यह दर्शाता है कि विकास आयुक्त केएएसईजेड, गांधीधाम के कार्यालय में ऐसे मामलों को पकड़ने की प्रक्रिया कमजोर है। इसके अलावा, यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण की ओर से खराब निगरानी को भी दर्शाता है।

डीओसी ने अपने उत्तर में यह बताया (जनवरी तथा फरवरी 2015) कि एचबीपी, खण्ड I का पैराग्राफ 6.6(ई) अनुबंधित करता है कि जहां एसआईओएन में दिए जहां अन्य मर्दे इनपुट के रूप में आवश्यक है या जहां अपरिशिष्ट, स्क्रेप तथा अवशेष का उत्पादन इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत से अधिक है, वहां तीन माह की अवधि के अन्दर क्षेत्राधिकारी डीसी द्वारा ऐसे इनपुट के उपयोग को स्वीकृत किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, इनपुट की खपत तथा स्क्रेप उत्पादन के अनुपात के मानदण्डों के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकरण डीसी नहीं अपितु मानदण्ड समिति है। इसके अलावा एफटीपी के पैरा 6.8(ई) स्पष्ट रूप से बताता है कि मानदण्डों में कवर न की गई मदों के संदर्भ में, डीसी छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है तथा इस अवधि के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा

मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। तदर्थ मानदण्ड तब तक जारी रहेंगे जब तक मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित करे। इसलिए यह स्पष्ट है कि तदर्थ मानदण्डों को अंतिम रूप देने तक डीसी द्वारा स्वयं घोषणा पर निर्धारित मानदण्ड स्वीकार्य होंगे।

मै. विस्साजा इंडिया प्रा. लि. द्वारा अधिक अपशिष्ट, स्क्रेप तथा अवशेष के उत्पादन के संदर्भ में, यूनिट ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण के माध्यम से दिनांक 13.10.2014 के पत्र द्वारा यह प्रस्तुत किया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना अपूर्ण है क्योंकि उन्होंने केवल तैयार माल के उत्पादन के आधार पर कि.ग्रा. आधारित स्क्रेप अनुपात की गणना की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वास्तविक अपशिष्ट प्रतिशतता केवल 33 प्रतिशत है जो स्वीकृत तदर्थ मानदण्डों से बहुत कम है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके उत्पाद को सजावट के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है तथा इस कारण से स्क्रेप का निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादन किया जाता है तथा यह स्क्रेप के रूप में उपयोग योग्य तथा देय के लिए मंजूर करने हेतु नहीं अपितु स्वीकृत सीमा के अन्दर है। यदि डीजीएफटी डीसी द्वारा निर्धारित तदर्थ मानदण्डों से कम अपशिष्ट मानदण्ड निर्धारित करता है तो यूनिट तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण की तिथि से भिन्नता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

डीओसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा डीसी द्वारा तदर्थ मानदण्डों के निर्धारण की तिथि से छः माह के अन्दर मानदण्ड समिति द्वारा तदर्थ मानदण्डों को न बनाने का था। इसके अलावा, डीसी केएसईजेड के पास तदर्थ मानदण्डों को अंतिम रूप देने के मामलों का पता लगाने पर आधारित कोई डाटा नहीं है।

4.10 एसआईओएन के तहत स्वीकृत के अलावा आयातित इनपुट/कच्ची सामग्री/उपभोगीय वस्तुओं की खपत पर शुल्क का उद्ग्रहण न होना

मानक इनपुट आउटपुट मानदण्ड (एसआईओएन), एफटीपी (2009-14) (खण्ड-2) की क्रम संख्या -ए 1049 के अनुसार 'ओपथेलमिक लेंसिस' के निर्माण तथा निर्यात के लिए स्वीकृत इनपुट 'रफ ब्लैक' है।

डीसी, एफएसईजेड एंड कोलकाता V / दिल्ली-III केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के तहत कोलकाता एवं गुडगांव (अतिरिक्त यूनिट) में स्थित मै. जीकेबी रेक्स लेंस प्रा. लि. (100 प्रतिशत ईओयू) से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'ओपथेलमिक लेंसिस' के निर्माण के लिए क्रमशः फरवरी 1995 तथा जून 2009 में एलओपी जारी किया गया। तथापि, यूनिट ने 2009-14 के दौरान 'स्पेक्टेक्ल लेंस' तथा

उपभोगीय' जो 'ओपथेलमिक लेंसिस' के निर्माण के लिए आयात की योग्य मदे नहीं थी, का आयात किया तथा खपत की। ईओयू द्वारा प्रस्तुत कच्ची सामग्री खरीद डाटा के अनुसार, यूनिट ने 2009-14 की समयावधि के दौरान ₹ 77.83 करोड़ शुल्क सहित ₹ 363.13 करोड़ राशि के 'स्पेक्टेकल लेंस' तथा 'उपभोगीय' का आयात किया जो अस्वीकार्य था।

यह बताए जाने पर (सितम्बर 2014) डीसी फाल्टा ने कहा (नवम्बर 2014) कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान गुडगांव की ईओयू यूनिट ने 'कांच के बने रफ ब्लैक्स' सीटीएच- 70151010 का उपयोग नहीं किया (जो 'ओपथेलमिक लेसिस' के निर्माण हेतु एसआईओएन प्रविष्टि संख्या ए-1049 के अनुसार ओपथेलमिक लेंसो के निर्यात हेतु आयात की स्वीकार्य मद थी) तथा केवल 'प्लास्टिक से बने स्पेक्टेकल लेंसो' सीटीएच -90015000 का उपयोग किया तथा आयातक के दावे के अनुसार, एचबीपी (खण्ड-1) के पैराग्राफ 6.6(ई) तथा अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. के संदर्भ में, डीजीएफटी या किसी अन्य प्राधिकरण से एसआईओएन की निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनका अपशिष्ट /स्क्रेप/अपशेष इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत से कम है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचबीपी (खण्ड-1) के पैराग्राफ 6.6(ई) तथा अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. की शर्त 3(डी)(1)(ii) के अनुसार, आयातित माल को भारत से बाहर तैयार माल के निर्यात के लिए एसआईओएन के अनुसार उपयोग करना पड़ता है तथा उक्त अधिसूचना के तहत प्रतिबंध के अनुसार ऐसे मामले में जहां कोई एसआईओएन अधिसूचित नहीं है, वहां इनपुट मात्रा के 2 प्रतिशत तक अपशिष्ट, स्क्रेप तथा अपशेष के सृजन को स्वीकृति दी जानी चाहिए। तात्कालिक मामले में, एसआईओएन (ए-1049) पहले ही निर्माण मदो 'ओपथेलमीक लेंसो' के लिए मौजूद है।

4.11 आयातित इनपुट/कच्ची सामग्री की अधिक खपत पर परित्यक्त राजस्व की उगाही न होना

एसआईओएन, एफटीपी (2009-14) (खण्ड 2) में, 'इन्सटेंट टी' के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए 'इन्सटेंट टी' के लिए किसी एसआईओएन के अभाव में, अपशिष्ट की उत्पत्ति को दिनांक 31.3.2003 की अधिसूचना की शर्त 3(डी)(1)(ii) के तहत प्रतिबन्ध के अनुसार इनपुट मात्रा के अधिकतम 2 प्रतिशत तक अनुमति दी जानी चाहिए।

डीसी क्षेत्राधिकार के तहत फाल्टा सेज तथा सिलीगुडी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय की मै. गुडरिक्स ग्रुप लि. (इन्सेटेंट टी प्लांट), जलपायगुडी (100

प्रतिशत ईओयू) (एलओपी दिनांक 28.10.94) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि यूनिट को 'इन्सटेंट टी' के निर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 1994 में मंजूरी दी गई थी जिसके लिए यूनिट दिनांक 31.3.2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003 सी.शु. के तहत छूट का लाभ उठाकर 'ऊलॉग टी' का नियमित रूप से आयात कर रहा था। तथापि, यूनिट को दिनांक 31.3.2003 की अधिसूचना की शर्त 3(डी)(1) के तहत प्रतिबंध के उल्लंघन में 2009-10 से 2012-13 की समयावधि के दौरान इनपुट मात्रा के 79 प्रतिशत तक अपशिष्ट उत्पत्ति की स्वीकृति दी गई।

यूनिट द्वारा 2009-13 की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए आयात तथा तैयार माल के आंकड़े से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ने 2,10,800 किग्रा. 'इन्सटेंट टी' के निर्माण के लिए (स्वीकार्य अपशिष्ट की मंजूरी देने के पश्चात) 7,20,326.4 किग्रा. अधिक 'ऊलॉग टी' की खपत की जिस पर ₹ 3.40 करोड़ ब्याज सहित ₹ 7.09 करोड़ की राशि का सीमा शुल्क उद्ग्रहाय था। तथापि, शुल्क तथा ब्याज की उगाही के लिए न तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा न ही डीसी, फाल्टा सेज प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी तथा फरवरी 2015) में बताया कि डीओआर से उत्तर प्रतिक्रित है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

4.12 एलओपी में दी शर्तों का उल्लंघन

यूनिटें परियोजना रिपोर्ट के साथ एक आवेदन बनाकर ईओयू योजना के तहत निर्यात माल तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं ले रही हैं। स्वीकृति पर, डीसी/पदनामित अधिकारी द्वारा ईओयू को एक स्वीकृति पत्र (एलओपी) जारी किया जाएगा। एलओपी की आरंभिक वैधता यूनिट के उत्पादन प्रारम्भ करने के समय से तीन वर्षों तक होती है। सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसकी वैधता को तीन वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि छः वर्षों के बाद के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा मामले दर मामले आधार पर अपवादात्मक परिस्थितियों में मंजूरी दी जा सकती है। एक बार इकाई द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात् जारी एलओपी इसकी गतिविधियों हेतु पाँच वर्षों तक वैध होगा। इस अवधि को डीसी द्वारा एक बार में पाँच वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।

संबंधित प्राधिकार द्वारा ईओयू इकाईयों को जारी एलओपी सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकृत माना जाएगा। एलओपी प्राप्त करने के पश्चात इकाई को संबंधित डीसी के साथ एलओपी की शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक कानूनी घोषणा (एलयूटी) करना होता है। सकारात्मक एनएफई न प्राप्त करने और एलओपी के किसी शर्त या नियम के उल्लंघन पर इकाई पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

i) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नोएडा सेज के अंतर्गत सात ईओयूज में एलओपी में प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन 15.96 प्रतिशत से 1813.54 प्रतिशत तक अधिक था। इन मामलों में इकाईयों द्वारा एलओपी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, अतः इन पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जानी थी। यहाँ तक कि ऐसी भिन्नताओं का कारण भी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत एपीआर में नहीं बताया गया है।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी 2015) में बताया कि अनुमन्य स्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन, प्रक्रियागत उल्लंघन है। ईओयू को एफटीपी के पैराग्राफ 6.32(4) के अनुसार डीसी की अनुमति लेनी चाहिए थी। हालांकि, चूँकि अधिक उत्पादन के बारे में बताया गया था, सरकार को राजस्व हानि होना प्रतीत नहीं होता। एफटीपी/एचबीपी के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित इकाईयों पर कार्रवाई की जा रही है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

ii) चार इकाईयों (नोएडा सेज एवं सीसेज में दो-दो) में एलओपी की अनुमोदित सीमा से अधिक पूँजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल की खरीद की गई थी। वास्तविक खरीद और एलओपी में अनुमोदित मात्रा में 96.80 प्रतिशत से 556.18 प्रतिशत तक का अंतर था।

डीओसी ने सीसेज के संबंध में अपने उत्तर (जनवरी 2015) में बताया कि ₹ 9.98 करोड़ की अनुमोदित सीमा से अधिक माल की खरीद के एक मामले में इकाई के निष्पादन और सकारात्मक एनएफई प्राप्ति के मद्देनजर दिसम्बर 2014 में अनुमति दे दी गई थी और अन्य मामलों में इकाई को नोटिस जारी किया गया है और उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

iii) अन्य मामलों में एक एसईईपीजेड के अंतर्गत चार इकाईयों के एलओपी के अनुसार प्राकलित निर्यात से वास्तविक निर्यात कम था। इन मामलों में,

एलओपी में प्राकलित निर्यात से वास्तविक निर्यात 61.13 प्रतिशत से 97.83 प्रतिशत तक कम था।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि इकाई को नवीनीकरण अनुमति देते समय संभावित आंकड़ों के प्रति वास्तविक निर्यात निष्पादन की गैर निष्पादन सहित निगरानी/समीक्षा की जाती है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित प्राधिकरण द्वारा ईओयू इकाईयों को जारी एलओपी को सभी उद्देश्य हेतु प्राधिकार समझा जाएगा। एलओपी प्राप्त करने के बाद इकाई एलओपी की शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार एक कानूनी उपक्रम (एलयूटी) निष्पादित है। सकारात्मक एनएफई सुनिश्चित करने में विफलता अथवा एलओपी के किसी भी नियम या शर्तों के उल्लंघन पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम के तहत इकाई पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग एलओपी के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन पर एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम की स्वीकार्यता को स्पष्ट करने पर विचार करे।

iv) एफएसईजेड के तहत एक मामले में एलओपी में तीन वर्षों की वैधता के प्रावधान के प्रति एक इकाई ने एलओपी जारी होने (दिसम्बर 1993) के ग्यारह वर्ष के बाद अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया (मार्च 2005)। यह भी देखा गया कि डीसी, फाल्टा ने एलओपी का विस्तार किया था (मार्च 2005) किन्तु विस्तार किए जाने के छः वर्ष बाद भी बीओए का अनुमोदन नहीं लिया गया, जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया/रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। हालांकि इकाई अभी भी संचालित नहीं हुई तथा न तो कोई जुर्माना लगाया गया और न ही एलओपी को रद्द किया गया।

उपरोक्त सभी मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि इओयू लगाने के आवेदन में वास्तविक उत्पादन को संभावित उत्पादन से जोड़ने के लिए एफटीपी में कोई प्रावधान नहीं है और न ही उत्पादन में अन्तर की निगरानी का कोई प्रावधान है। उपरोक्त बताए गए मामले दर्शाते हैं कि ईओयूज द्वारा विशेष रूप से इसके तय लक्ष्यों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को एपीआर के स्वरूप में पर्याप्त तरीके से नहीं बनाया गया।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) बताया कि ईओयू लगाने समय अथवा एलओपी के नवीनीकरण के समय परियोजना रिपोर्ट में इकाई द्वारा दर्शाये गए संभावित आंकड़े उनके उत्पाद के बाजार माहौल मिलने पर निर्भर करता है। यह निर्यात निष्पादन की मॉनिटरिंग हेतु अकेला आधार नहीं हो सकता। ईओयू का एकमात्र दायित्व पाँच वर्षों की अवधि में समेकित सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना है।

निगरानी हेतु पहले ही एक तंत्र है जैसा कि परिशिष्ट 14-1-जी में बताया गया है, जिसके अनुसार इकाई निगरानी की जाती है यदि पहले और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर ईओयू योजना में मानकों के अनुसार एनएफई प्राप्त करने में गिरावट आती है तब इकाई को निगरानी के तहत रखा जाता है। उत्पादन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफलता पर एक चेतावनीपूर्ण पत्र जारी किया जाता है और उसके तीसरे अथवा बाद के वर्षों की समाप्ति पर एससीएन जारी किया जाता है। यदि एफटीपी के पैराग्राफ 6.5 के अनुसार ब्लॉक अवधि की समाप्ति के बाद सकारात्मक एनएफई नहीं प्राप्त किया जाता, डीसी, एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करता है।

डीओसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने देखा कि डीसी ईओयू के निष्पादन की निगरानी नहीं कर रहे हैं।

सिफारिश सं. 5: विभाग परिकल्पित उद्देश्यों हेतु संलग्न ईओयू में प्रक्रिया/प्रावधानों को विनियमित करने के लिए एफटी (डीएण्डआर) के संबंधित प्रावधान का अक्षरशः पालन करे।

डीओसी सिफारिश पर विशेष उत्तर दे।

4.13 विदेशी मुद्रा की वसूली नहीं की गई

एचबीपी 2009-14 के पैराग्राफ 6.11 में प्रावधान है कि ईओयू के निष्पादन की यूएसी द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी। एफटीपी के पैराग्राफ 6.12(सी) की शर्तों के अनुसार ईओयू को निर्यात के 12 महीने के भीतर अपनी निर्यात आय वसूल करना होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसईजेड बेंगलोर, एनएसईजेड, नोएडा और वीएसईजेड विशाखापट्टनम के तहत चार मामलों में ₹ 22.30 करोड़ की विदेशी मुद्रा अभी भी वसूली जानी थी जबकि इकाईयों ने उत्पादन शुरू होने की तिथि से पाँच ब्लॉक वर्ष पूरा कर लिया। इन मामलों में संबंधित डीसी/यूएसी विदेशी मुद्रा की वसूली की निगरानी करने में विफल रहे। एचबीपी पैराग्राफ 6.9 और 6.11 की शर्तों के अनुसार संबंधित कंपनियों से गैर वसूली पर छोड़े गये उक्त शुल्क की वसूली की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि 31.03.2014 तक डीसीज़ एसपीईईजेडएस, मुंबई, एनएसईजेड, नोएडा, सीएसईजेड, कोच्चि, एमईपीजेड, चेन्नई एवं वीएसईजेड विशाखापट्टनम के अंतर्गत 29 अन्य ईओयू में ₹ 64.40 करोड़ राशि की विदेशी मुद्रा की वसूली अनुमत अवधि के बाद भी नहीं की गई थी, यह दर्शाने

हेतु कोई अभिलेख नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि एफई¹² की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु संबंधित डीसीज़ द्वारा कार्रवाई की गई है।

ये सभी, डीसीज़ द्वारा विदेशी मुद्रा वसूली की अपर्याप्त मॉनीटरिंग के कुछ मामले हैं।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रेषण की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एनएसईजेड में इकाईयों के संबंध में एपीआर के आधार पर संबंधित इकाईयों को पहले ही पत्र जारी किए जा चुके हैं और सीएसईजेड में एक इकाई ने वसूली त्याग देने का अनुरोध किया गया था क्योंकि कंपनी को जिससे एफई की वसूली करनी थी वह दिवालिया हो गयी थी। अन्य कंपनी से लंबित एफई की वसूली की गई थी। इसी प्रकार अन्य संबंधित इकाईयों में डीसी ने संबंधित ईओयूज़ से रिपोर्ट माँगी गई।

डीओसी का उत्तर स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि डीसीज़ द्वारा विदेशी मुद्रा वसूली की निगरानी पर्याप्त नहीं थी।

4.14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए के तहत ईओयू को जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना का लागूकरण

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि शत प्रतिशत ईओयू में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर डीटीए की मंजूरी पर आयातित वस्तुओं पर देय शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए सरकार को छूट अधिसूचना जारी करने की शक्तियाँ देती है जो कुछ वस्तुओं पर पूरा अथवा कुछ उत्पाद शुल्क से छूट देती है बशर्ते कि वे वस्तुएँ इसमें विनिर्दिष्ट हों। हालांकि धारा 5ए के प्रावधान के अनुसार इसमें दी गई छूट ऐसे उत्पादयोग्य वस्तुओं पर नहीं लागू होगा जो शत प्रतिशत ईओयू में उत्पादित अथवा निर्मित होती है।

इस प्रकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अनुसार ईओयू से डीटीए मंजूरी लेते समय आयत के सममूल्य पर शुल्क बनता है, अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत आयात पर उपलब्ध छूट लाभ ईओयू से मंजूरी के लिए लागू नहीं होता।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आठ ईओयूज़ में से डीसी, फाल्टा के क्षेत्राधिकार में सात और एक ईओयू ने डीसी, एसईईपीजेड, मुंबई केंद्रीय उत्पाद शुल्क

¹² एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-जी के अनुसार

अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना के अंतर्गत इसमें निहित प्रावधानों के विपरीत ₹ 17.67 करोड़ का शुल्क छूट का लाभ लिया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

तालिका 10: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना का लागूकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीसी आयुक्त	इकाई का नाम (मै.)	डी बांडिंग की अवधि/तिथि	डीटीए में व्यापार का मूल्य	कम भुगतान/भुगतान नहीं किया गया शुल्क
1	फाल्टा सेज	सोवा पावर लिमिटेड	2009-14	62.63	8.19
2	फाल्टा सेज	मनक्सिया लि., हुगली	2009-14	4.45	0.60
3	फाल्टा सेज	सिनर्जी इलेक्ट्रिक प्रा. लि.	2007-13	16.06	2.35
4	फाल्टा सेज	ग्रेडिएंट वायर प्रोडक्ट प्रा. लि.	2012-14 (20.3.14 तक)	4.52	0.27
5	फाल्टा सेज	गुडरिक ग्रुप लि.	2009-13 (28.5.12 तक)	9.20	1.42
6	फाल्टा सेज	अल चैम्पडैनी इंडस्ट्रीज लि.	25.5.2012	उ.न.	3.81
7	फाल्टा सेज	नफर चंद्र जूट मिल्स लि.	6.5.2013	उ.न.	0.27
8	एसईईपीजेड सेज	श्रेया लाइफ साइंस प्रा. लि.	2008-09 से 2010-11	8.58	0.76

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने एसईईपीजेड सेज के अधीन एक इकाई को ₹ 0.76 लाख का एससीएन जारी किया।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि मामलों की जांच करने और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु क्षेत्राधिकारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

सिफारिशें सं. 6: विभाग को ईओयूज द्वारा दी गई धरेलू मंजूरी पर उद्ग्रहण योग्य शुल्क से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और धारा 3 के विरोधाभासी प्रावधानों के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को हटाने के लिए उपयुक्त संशोधन पर विचार करना चाहिए।

डीओसी ने अपने उत्तर (जनवरी और फरवरी 2015) में बताया कि अस्पष्टता को दूर करने हेतु डीओआर से जाँच करने का अनुरोध किया जाएगा। डीओसी अपनी टिप्पणियाँ देते हुए और इन मर्दों की जाँच हेतु डीओआर को भी लिखेगा और फिर आगे की कार्रवाई करेगा।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

4.15 एफटीपी और सीई अधिसूचना में अस्पष्टता

एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-एच के क्रमांक 1(डी) में प्रावधान है कि एक ईओयू हकदारी लेने के तीन वर्षों के भीतर डीटीए बिक्री हकदारी ले सकता है। अतः ईओयू अपनी डीटीए बिक्री हकदारी को आगे बढ़ाने का हकदार अगले वर्ष होगा। हालांकि, दिनांक 31 मार्च 2003 के सीई अधिसूचना की अनुबंध तालिका की शर्त संख्या 2(बी) की शर्तों में यह प्रावधान है कि यदि एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 के उप पैराग्राफ (ए), (बी), (डी) और (एच) के अनुसार वस्तुओं को डीटीए में मंजूरी दी जाती है तो इकाई से निकासी की जाने वाली वस्तुओं का कुल मूल्य उक्त इकाई द्वारा वर्ष के दौरान (उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक) किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार, चालू वर्ष के निर्यात हेतु डीटीए बिक्री हकदारी पर प्रतिबंध है। अतः ईओयू के डीटीए बिक्री हकदारी पर एफटीपी और सीई अधिसूचना के प्रावधान में संदिग्धता थी जिसमें सुधार किया जाना चाहिए था।

सिफारिश सं. 7: ईओयू के डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी के बीच अस्पष्टता को दूर करने के क्रम में लागू प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिए।

सिफारिश मानते हुए डीओसी ने उत्तर दिया (जनवरी और फरवरी 2015) कि लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार डीओआर से इसके विभिन्न अधिसूचनाओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि अस्पष्टता दूर करने के लिए एफटीपी/ एचबीपी के प्रावधानों में अनुरूपता लाई जा सके।

अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

5. निष्कर्ष

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी 2009-14) में मध्यावधि लक्ष्य उपयुक्त नीति समर्थन के माध्यम से 2020 की समाप्ति तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दुगुना करने के दीर्घावधि लक्ष्य के साथ 2014 तक वस्तुओं और सेवाओं के भारत के निर्यात को दुगुना करना था।

वाणिज्य विभाग की नीतिगत योजना के अनुसार विभाग का लक्ष्य 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का औसत प्राप्त करना था। इस लक्ष्य पर काम करते हुए विभाग का लक्ष्य 2010-11 में इसके वाणिज्यिक निर्यात को 225 बिलियन यूएस डालर (अनुमानित स्तर) से बढ़ाकर 2013-14 में 450 बिलियन यूएस डालर और फिर 750 बिलियन यूएस डॉलर (2016-17) करना था।

इसके लचीलेपन और अद्वितीय स्थिति के कारण ईओयू योजनायें 1980, 1990 और मध्य 2000 दशक तक और प्रखर हुईं जिसने सकारात्मक विकास के लिए इकाईओं की आर्थिक संबद्धता और एकीकरण, तकनीकी और कौशल के निखार के माध्यम से घरेलू उद्योग में ढाँचागत बदलाव की प्रक्रिया में योगदान दिया।

2006-07 में सेज अधिनियम लागू होने के पश्चात् ईओयूज में धीरे-धीरे कमी आयी है। एफटीपी में 100 प्रतिशत ईओयू योजना का असाधारण लाभ लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने देखा कि पूरे निर्यात में ईओयू के हिस्से में 2010-11 में मामूली सुधार को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों के दौरान गिरावट आयी है।

डीओसी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि एपीआर समय पर प्रस्तुत किए जाएं, जिसे ईओयूज के निष्पादन और निगरीनी हेतु बनाया गया था, में केवल निर्यात के लिये ही नहीं बल्कि छोड़े गये शुल्क, योजना के निष्पादन पर उपयोगी फीडबैक के रूप में प्रयोग करने के लिये सरकार हेतु डीटीए बिक्री के बारे में भी पूर्ण उचित डाटा हो सकता है।

डीओसी ईओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की एक प्रणाली बनाए और इससे संबंधित वेबसाइट पर अद्यतित डाटा जुटाने, परिष्कृत और जोड़ने के लिए कदम उठाए।

वाणिज्य विभाग ईओयूज की डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी में अस्पष्टता को दूर करने के लिए लागू प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करे।

रिपोर्ट में बताए गए प्रणालीगत मुद्दों के अलावा संचालनात्मक गड़बड़ी के विशिष्ट मामलों के कारण ₹ 317.06 करोड़ शुल्क की कम/गैर उगाही हुई।

गैर अनुपालन और नीति के गलत अर्थ के कारण डीटीए बिक्री ईओयू योजनाओं से अलग होते समय शुल्क की कम उगाही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के लागूकरण, सेनवेट क्रेडिट के अनुचित लाभ, सेवाकर की गैर वसूली आदि के मामले भी लेखापरीक्षा में देखे गए।

डीओसी ने अपने उत्तर (फरवरी 2015) में बताया कि उठाए गए अधिकांश मुद्दे तथ्यात्मक हैं। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों जैसे- समय से एपीआरज प्रस्तुतीकरण, जोनल वेबसाइट का अद्यतन, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कार्यान्वयन हेतु पहले ही कदम उठाया है। जहाँ तक ईओयूज के डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी के बीच अस्पष्टता को दूर करने के लिए लागू

प्रावधानों में संशोधन का संबंध है, राजस्व विभाग से उसके अधिसूचनाओं में संशोधन करने का अनुरोध किया जाएगा, जब और जैसे नए एफटीपी लागू किए जाएंगे।




नई दिल्ली

दिनांक: 17 मार्च 2015

(डा. नीलोत्पल गोस्वामी)

प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली

दिनांक: 18 मार्च 2015

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक